Dr. Bimal
Act Help
26/9/19

सं0सं0–1 / विविध–48 / 2019–1146(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

Sri Krishan Medical College, Muz.
Letter No:- 10545/19
Date:- 26/09/19
Receiver Sign

प्रेषक,

विवेकानन्द ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय,
बिहार।

पटना, दिनांक– 22 / 8 /2019

विषयः– **मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के खतरे पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा बनाई गई विनियमावली के कार्यान्वयन के संबंध में।**

प्रसंगः– भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, नई दिल्ली का पत्रांक–133264 दिनांक–26.07.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, नई दिल्ली के द्वारा प्रेषित है जिसके द्वारा मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के खतरे पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा बनाई गई विनियमावली के कार्यान्वयन का अनुरोध किया गया है।

अनुरोध है कि पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/08/19

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

सं. : भा.आ.प.-34(1)/2019–मेड.(रैगिंग)/133264 दिनांक : 26-07-19

1. भारत में सभी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के डीन/प्रधानाचार्य,
2. भारत में सभी राज्यों के चिकित्सा शिक्षा निदेशक
3. भारत में सभी राज्य सरकारों के चिकित्सा शिक्षा सचिव
4. भारत में सभी निश्नविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार

विषयः मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के खतरे पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा बनाई गई विनियमावली का कार्यान्वयन।

महोदय,

कृपया रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों के पर्यवेक्षण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई डॉ. आर. के. राघवन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अवलोकन करें। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली, 2009" नामक विनियमावली के रूप में मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग का खतरे पर नियंत्रण रखने के लिए विनियम बनाए हैं। यह विनियमावली इस कार्यालय के दिनांक 21.08.2009 के परिपत्र संख्या 34(1)/2009–मेड./31046 के अंतर्गत पहले ही आपको परिचालित कर दी गई है और यह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की वेबसाइट अर्थात् www.mciindia.org पर भी उपलब्ध है।

मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के खतरे पर नियंत्रण रखने के संबंध में विनियमावली का प्रचालनात्मक भाग निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

5. रैगिंग के निषेध के लिए उपायः

5.1 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, रैगिंग को बलात्कार और महिलाओं के विरुद्ध अन्य अत्यचारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार के समान कानून के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध के रूप में मानते हुए और सभी संस्थानों में इसके सभी रूपों में रैगिंग का निषेध करते हुए, तत्समय लागू केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिनियम, यदि कोई है या यदि अधिनियमित किया गया है और/या तत्समय लागू अधिनियम के उपबंधों का सफलता से पालन करेगा।

5.2 रैगिंग, इसके सभी रूपों में, इसके सभी विभागों, संघटक इकाइयों और इसके परिसरों (शैक्षिक, आवासीय, खेलकूद, कैंटीन आदि) सहित, चाहे वे परिसर के अंदर स्थित हों और छात्रों को परिवहन के सभी साधनों में, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, में पूर्व मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय में पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

5.3 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, रैगिंग और/या रैगिंग को उकसाने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगा।

6. संस्थान के स्तर पर रैगिंग की रोकथाम के उपायः–

6.1 दाखिलों से पहलेः

6.1.1 दाखिलों के लिए दिए गए विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि मेडिकल कॉलेज/संस्थान में रैंगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित/निषिद्ध है और रैगिंग तथा/या रैगिंग के लिए उकसाने के दोषी पाए गए किसी व्यक्ति को समेकित रूप से सजा दी जा सकेगी।

6.1.2 दाखिले के ब्रोशर/अभ्यर्थियों के लिए निर्देश संबंधी पुस्तिका में स्पष्ट शब्दों में ये विनियम पूरी तरह (अनुलग्नों सहित) प्रिंट किए जाएंगे।

6.1.3 "प्रॉस्पेक्टस" और दाखिला संबंधी अन्य दस्तावेज़ में माननीय उच्चतम न्यायालय और/या केंद्र या राज्य सरकारों के यथालागू सभी निर्देश शामिल किए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों और उनके माता–पिता/अभिभावक रैगिंग के निषेध तथा परिणामों के संबंध में संवेदनशील हों।

6.1.4 ब्रोशर या बुकलेट/लीफलेट, रैगिंग करने या रैगिंग के लिए उकसाने में लिप्त न होने का वचनपत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शैक्षिक सत्र के आरंभ में प्रत्येक छात्र को वितरित किया जाएगा और इसमें रोकथाम और निवारण की प्रगतियों का ब्लूप्रिंट होगा।

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

No. MCI – 34(1)/2019-Med (Ragg.)/ 133264 – **Date :** 26-07-19

1. The Deans/Principals of all the Medical Colleges/Institutions in India
2. The Directors of Medical Education of all the States in India
3. The Secretary of Medical Education of all the State Governments in India
4. The Registrars of all the Universities and Deemed Universities in India

Sub: Implementation of the Regulations framed by the Medical Council of India to curb the menace of ragging in medical colleges.

Sir/Madam,

Please refer to the decision taken in the meeting of Dr. R.K. Raghavan Committee appointed by the Hon'ble Supreme Court to supervise the measures being implemented to prevent the menace of ragging. The Medical Council of India has prepared regulations to curb the menace of ragging in medical colleges in form of Regulations called as the Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) Regulations, 2009. The said Regulations have been notified in the Part III Section 4 of the Gazette of India on 03.08.2009. These Regulations have already been circulated to you vide this office circular No. 34(1)/2009-Med./31046, dated 21.08.2009 and are also available on the MCI website i.e. www.mciindia.org.

The operative part of the regulation is reproduced as under with regard to curb the menace of ragging in medical colleges :-

"5. *Measures for prohibition of ragging:-*

5.1 The Medical College/Institution / University shall strictly observe the provisions of the Act of the Central Government and the State Governments, if any, or if enacted and / or for the time being in force, considering ragging as a cognizable offence under the law at par with rape and other atrocities against women and ill-treatment of persons belonging to the SC/ST and prohibiting ragging in all its forms in all institutions.

5.2 Ragging in all its forms shall be totally banned in the entire Medical College/Institution / University including its departments, constituent units, all its premises (academic, residential, sports, canteen, etc) whether located within the campus or outside and in all means of transportation of students whether public or private.

5.3 The Medical College/Institution / University shall take strict action against those found guilty of ragging and/or of abetting ragging.

6. *Measures for prevention of ragging at the institution level:-*

6.1 Before admissions:-

6.1.1 The advertisement for admissions shall clearly mention that ragging is totally banned / prohibited in the Medical College/Institution and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging is liable to be punished appropriately.

6.1.2 The brochure of admission/instruction booklet for candidates shall print in block letters these Regulations in full (including Annexures).

6.1.3 The 'Prospectus' and other admission related documents shall incorporate all directions of the Hon'ble Supreme Court and /or the Central or State Governments as applicable, so that the candidates and their parents/ guardians are sensitized in respect of the prohibition and consequences of ragging.

6.1.4 A Brochure or booklet/leaflet shall be distributed to each student at the beginning of each academic session for obtaining undertaking not to indulge or abet ragging and shall contain the blueprint of prevention and methods of redress.

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – I, New Delhi-110077

(79)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

दाखिले/नामांकन के लिए आवेदन पत्र में एक प्रिंटेड वचनपत्र होगा, वरीयतः अंग्रेजी/हिंदी में और संस्थान तथा आवेदक को ज्ञात क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में (अंग्रेजी रूपांतर अनुबंध–1, भाग–II में दिया गया है), जो इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा और उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे कि वह रैगिंग के निषेध और दंड के संबंध में कानून से अवगत है और इस संबंध में कि उसे किसी संस्थान द्वारा निकाला नहीं गया है और/या दाखिले से विवर्जित नहीं किया गया है और कि यदि वह रैगिंग और/या रैगिंग के लिए उकसाने के अपराध का दोषी पाया जाता/पाई जाती है तो उसे समुचित दंड दिया जाएगा।

6.1.5 आवेदन पत्र में एक प्रिंटेड वचनपत्र भी होगा, वरीयतः अंग्रेजी/हिंदी दोनों भाषाओं में और संस्थान तथा माता–पिता/अभिभावक को ज्ञात क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक में (अंग्रेजी रूपांतरण अनुबंध–1 भाग–II में दिया गया है), जिस पर आवेदक के माता–पिता/ अभिभावक द्वारा इस संबंध में हस्ताक्षर किए जाएंगे कि वह इस संबंध में कानून से अवगत है और इस बात पर सहमति व्यक्त करता/करती है कि यदि उसका/उसकी वार्ड रैगिंग और/या रैगिंग के लिए उकसाने का/की दोषी पाया जाता/पाई जाती है तो उसे दिए जाने वाले दंड से वह आबद्ध होगा।

प्रत्येक छात्र और उसके माता–पिता/अभिभावकों द्वारा सत्यनिष्ठा से दिए गए शपथपत्रों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर किया गया एक आंकड़ा आधार सृजित किया जाएग और उसमें प्रत्येक छात्र के ब्योरे होंगे। यह आंकड़ा आधारप्राप्त हुई रैगिंग की शिकायतों के एक रिकार्ड के रूप में भी काम में आएगा।

6.1.6 दाखिले के लिए आवेदन पत्र के साथ स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र/स्थानांतरण प्रमाणपत्र/ माइग्रेशन प्रमाणपत्र/चरित्र प्रमाणपत्र के रूप में दस्तावेज़ होंगे, जिनमें आवेदक के व्यवहारजन्य पैटर्न पर एक रिपोर्ट शामिल होगी ताकि इसके पश्चात संस्थान उस छात्र पर गहनता से निगरानी रख सके, जिसने इस संबंध में नकारात्मक प्रवेश किया है।

6.1.7 किसी छात्रावास, जो मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय का भाग है, में प्रवेश प्राप्त करने या संस्थान का एक भाग न होने वाले किसी अस्थायी परिसर, जिसमें वाणिज्यिक रूप से निजी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित लॉज या होस्टल शामिल है, निवास करने का/की इच्छुक छात्र, छात्रावास में आवास के लिए अपने आवेदनपत्र के साथ–साथ अनुबंध–1 (दोनों भागों) के रूप में अतिरिक्त वचनपत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी।"

छात्रावास में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र को, छात्रावास में आवास के लिए अपने आवेदनपत्र के साथ–साथ अनुबंध–1 (दोनों भागों) के रूप में अतिरिक्त वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.8 शैक्षिक सत्र के आरंभ में, संस्थान में रैगिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों और अपराधियों की पहचान करने तथा उन्हें उचित ढंग से दंड देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने के लिए विभाग प्रमुख विभिन्न कार्यकर्ताओं/एजेंसियों जैसे वार्डन, छात्रों के प्रतिनिधियों, माता–पिता/अभिभावकों, संकाय सदस्यों, पुलिस सहित जिला प्रशासन के साथ बैठक करेगा और उसे संबोधित करेगा।

6.1.9 बड़े समुदाय को और विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव तथा रैगिंग में लिप्त होने वाले व्यक्तियों के प्रति संस्थान के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए बड़े पोस्टर (वरीयतः कानून, दंड आदि के उपबंधों के साथ भिन्न–भिन्न रंगों में बहुरंगी) सभी विभागों, छात्रावासों और अन्य भवनों तथा असुरक्षित स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। इन पोस्टरों में से कुछ पोस्टर कुछ असुरक्षित स्थानों में स्थायी स्वरूप के होंगे।

6.1.10 रणनीतिक स्थानों पर ऊपर उप–खंड 6.1.9 में उल्लिखित पोस्टर लगाने के अलावा, मेडिकल कॉलेज/संस्थान छात्रों के बीच काउंसलिंग, सत्र, कार्यचालन, पेंटिंग और डिजाइन प्रतियोगिताएं आयोजित करके और अन्य तरीकों से, जो वह उचित समझे, श्रव्य–दृश्य उपकरणों के माध्यम से रैगिंग के विविध गहन प्रचार के लिए उपाय करेगा।

6.1.11 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय मीडिया से यह अनुरोध करेगा कि वह रैगिंग का निषेध करने वाले कानून और रैगिंग के नकारात्मक पहलुओं और रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने और दोषी पाए जाने वालों को डर या पक्षपात के बिना दंड देने के संस्थान के संकल्प का व्यापक प्रचार करे।

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035
25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

The application form for admission/ enrolment shall have a printed undertaking, preferably both in English/Hindi and in one of the regional languages known to the institution and the applicant (English version given in Annexure I, Part I), to be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the law regarding prohibition of ragging as well as the punishments, and to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred from admission by any institution and that he/she, if found guilty of the offence of ragging and/or abetting ragging, is liable to be punished appropriately.

6.1.5 The application form shall also contain a printed undertaking, preferably both in English/Hindi and in one of the regional languages known to the institution and the parent/ guardian (English version given in Annexure I, Part II), to be signed by the parent/ guardian of the applicant to the effect that he/ she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishment meted out to his/ her ward in case the latter is found guilty of ragging and/or abetting ragging.

A database shall be created out of affidavits affirmed by each student and his/her parents/guardians stored electronically, and shall contain the details of each student. The database shall also function as a record of ragging complaints received.

6.1.6 The application for admission shall be accompanied by a document in the form of the School Leaving Certificate/transfer certificate/migration certificate/ Character Certificate which shall include a report on the behavioral pattern of the applicant, so that the institution can thereafter keep intense watch upon a student who has a negative entry in this regard.

6.1.7 A student seeking admission to a hostel forming part of the Medical College /Institution/ University, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, include a private commercially managed lodge or hostel, submit additional undertaking in the form of Annexure I (both Parts) along with his/her application for hostel accommodation."

A student seeking admission to the hostel shall have to submit additional undertaking in the form of Annexure I (both Parts) along with his/ her application for hostel accommodation.

6.1.8 At the commencement of the academic session the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like Wardens, representatives of students, parents/ guardians, faculty, district administration including police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the Institution and steps to be taken to identify the offenders and punish them suitably.

6.1.9 To make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, big posters (preferably multicolored with different colours for the provisions of law, punishments, etc.) shall be prominently displayed on all Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at vulnerable places. Some of such posters shall be of permanent nature in certain vulnerable places.

6.1.10 Apart from placing posters mentioned in sub-clause 6.1.9 above at strategic places, the Medical College/Institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, by holding counseling sessions, workshops, painting and design competitions among students and other methods as it deems fit.

6.1.11 The Medical College/Institution/University shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

(77)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

6.1.12 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय रैगिंग की घटनाएं घटित होने के लिए असुरक्षित के रूप में ज्ञात सभी स्थानों की पहचान करेगा, उचित ढंग से प्रकाश व्यवस्था करेगा और उन पर निकटता से निगरानी रखेगा।

6.1.13 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय अपने परिसरों में विशेष रूप से असुरक्षित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को कठोर बनाएगा और इन विनियमों में उल्लिखित रैगिंग प्रतिरोधी दस्ते द्वारा गहन पुलिस व्यवस्था कराएगा और शैक्षिक सत्र के प्रारंभिक महीनों के दौरान ऐसे स्थानों और विषम समय पर वालंटियरों, यदि कोई हों, का सहारा लेगा।

6.1.13(क) संस्थान प्रमुख संस्थान में नामांकित छात्रों द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्येक निजी वाणिज्यिक रूप से प्रबंधित छात्रावासों और लॉजों के ब्योरे, स्थानीय पुलिस या स्थानीय प्राधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराएंगे और संस्थान प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेगा कि रैगिंग प्रतिरोधी दस्ता रैगिंग होने से रोकने के लिए इन स्थानों पर निगरानी सुनिश्चित कर रहा है।

6.1.14 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय नए शैक्षिक वर्ष के आरंभ होने से पहले छुट्टी की अवधि का उपयोग, पोस्टरों, लीफलेटों, संगोष्ठियों, नुक्कड़ नाटकों आदि के जरिए रैगिंग के विरुद्ध व्यापक प्रचार अभियान आरंभ करने के लिए करेगा।

6.1.15 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के संकायों/विभागों/ इकाइयों में प्रवेश प्रक्रिया के मुख्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की स्पष्ट भावना के साथ शैक्षिक सत्र के आरंभ में पहले से ही प्रवेश व्यवस्था मौजूद होगी (उन व्यवस्थाओं सहित, जिनसे छात्रों के किसी विशेष वर्ग की कोई विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रत्याशा, पहचान या योजना हो।

प्रधानाचार्य या संस्थान/विभाग प्रमुख, अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ सदस्यों, परिसरों में नियोजित संविदा श्रमिकों, चाहे वे कैंटीन चलाने के लिए हों या वार्ड एंड वार्ड स्टाफ के रूप में या भवनों/लॉनों आदि की साफ-सफाई या अनुरक्षण के लिए हों, सहित संस्थान के सभी कर्मचारियों से इस संबंध में एक वचनपत्र प्राप्त करेगा कि वह रैगिंग के किसी मामले में, जो उसकी जानकारी में आता है, की तुरंत रिपोर्ट करेगा/करेगी। स्टाफ के ऐसे सदस्यों को प्रशंसापत्र जारी करने के लिए सेवा नियमों में व्यवस्था की जाएगी, जो उनके सेवा रिकार्ड का एक भाग होगा।

6.2 <u>दाखिले पर:-</u>

6.2.1 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में नया दाखिल किए गए प्रत्येक छात्र को एक प्रिंटेड लीफलेट दिया जाएगा, जिसमें ये ब्योरे दिए गए होंगे कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए सहायता और मार्गदर्शन हेतु उसे कब और किसके पास जाना है (वार्डन, संस्थान प्रमुख, रैगिंग प्रतिरोधी समिति के सदस्य, संबंधित जिला और पुलिस प्राधिकारियों सहित)। उन व्यक्तियों/प्राधिकारियों के पते और टेलीफोन नंबर होंगे ताकि फ्रेशर को ऐसे मामलों में सहायता हेतु वरिष्ठ छात्रों की ओर देखने की आवश्यकता न पड़े और उनका ऋणी न होना पड़े तथा स्वयं अपने बलबूते पर सही या गलत करना आरंभ कर सके। इस प्रकार का कलंक उनके वरिष्ठ छात्रों पर फ्रेशर की आश्रितता को कम करेगा।

आगे के जीवन के लिए उन्हें तैयार करने, विशेष रूप से छात्रावासों के जीवन के साथ समायोजन करने के लिए, की दृष्टि से प्रत्येक संस्थान को "फ्रेशरों की काउंसलिंग के लिए दाखिले के समय व्यावसायिक काउंसलरों की सहायता लेनी चाहिए या उन्हें अभिनियोजित करना चाहिए"।

6.2.2 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय ऊपर उल्लिखित लीफलेट के जरिए, उनके प्रवेश तथा अभिमुखीकरण हेतु व्यवस्थाओं का नए छात्रों को स्पष्टीकरण देने, जो छात्रों के रूप में पूरी तरह उन्हें एकीकृत करने के दक्ष और प्रभावी साधनों को बढ़ावा देगा।

6.2.3 ऊपर उल्लिखित लीफलेट फ्रेशरों को संस्थान के असली छात्रों के रूप में उनके अधिकारों के बारे में भी सूचित करेगा और उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश देगा कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने से बाज आना चाहिए, चाहे वरिष्ठ छात्रों द्वारा इसका आदेश भी दिया गया हो और कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संस्थान उनकी देखभाल करता है और उनके विरुद्ध किसी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा।

6.2.4 ऊपर उल्लिखित लीफलेट में संस्थान के शैक्षिक वातावरण से फ्रेशरों को सुविधा प्रदान करने और अवगत कराने के लिए संस्थान द्वारा विनिर्धारित कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का एक कैलेंडर होगा।

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / Email : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase – I, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

6.1.12 The Medical College/Institution/University shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents."

6.1.13 The Medical College/Institution/University shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the early months of the academic session

"6.1.13(A) The head of the institutions shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein."

6.1.14 The Medical College/Institution/University shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch wide publicity campaign against ragging through posters, leaflets. seminars, street plays, etc.

6.1.15 The faculties/ departments/ units of the Medical College/Institution /University shall have induction arrangements (including those which anticipate. identify and plan to meet any special needs of any specific section of students) in place well in advance of the beginning of the academic year with a clear sense of the main aims and objectives of the induction process.

The Principal or Head of the Institution/Department shall obtain an undertaking from every employee of the institution including teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns etc. that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice. A provision shall be made in the service rules for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report ragging which will form port of their service record.

6.2. On admission:-

6.2.1 Every fresher admitted to the Medical College/Institution/University shall be given a printed leaflet detailing when and to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes (including Wardens, Head of the institution, members of the anti-ragging committees, relevant district and police authorities), addresses and telephone numbers of such persons/authorities, etc., so that the fresher need not look up to the seniors for help in such matters and get indebted to them and start doing things, right or wrong, at their behest. Such a step will reduce the freshers' dependence on their seniors.

Every institution should engage or seek the assistance of professional counselors at the time of admissions to counsel 'freshers' in order to prepare them for the life ahead, particularly for adjusting to the life in hostels.

6.2.2 The Medical College/Institution/University through the leaflet mentioned above shall explain to the new entrants the arrangements for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students.

6.2.3 The leaflet mentioned above shall also inform the freshers about their rights as bonafide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything against their will even if ordered by the seniors, and that they have nothing to fear as the institution cares for them and shall not tolerate any atrocities against them.

6.2.4 The leaflet mentioned above shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

(75)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

6.2.5 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय फ्रेशरों और वरिष्ठ छात्रों के संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

पहले सप्ताह के पश्चात या दूसरे सप्ताह के पश्चात, जैसा भी मामला हो, वरिष्ठ छात्रों के आगमन पर अगले अभिमुखीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से कार्यक्रमबद्ध किए जाने चाहिए: (i) किसी व्यावसायिक काउंसलर द्वारा फ्रेशर और वरिष्ठ छात्रों दोनों का संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम काउंसलिंग; (ii) फ्रेशरों और वरिष्ठ छात्रों का संयुक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रधानाचार्य/संस्थान प्रमुख और रैगिंग प्रतिरोधी समिति द्वारा संबोधित किया जाएगा; (iii) संकाय सदस्यों की मौजूदगी में विचार–विमर्श करने के लिए फ्रेशरों और वरिष्ठ छात्रों के लिए एक मंच उपलब्ध कराने हेतु बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य क्रियाकलाप आयोजित करना; (iv) छात्रावास में वार्डन को सभी छात्रों को संबोधित करना चाहिए, कॉलेज के संकाय से दो कनिष्ठ सहयोगियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे एक अस्थायी अवधि के लिए रेजिडेंट ट्यूटर बनकर वार्डन की सहायता करें; (v) जहां तक संभव हो, संकाय सदस्यों को फ्रेशरों के बीच विश्वास की भावना स्थापित करने के लिए उनके संबंधित छात्रावासों में छात्रावास के आवासियों के साथ भोजन करना चाहिए।

6.2.6 फ्रेशर या किसी अन्य छात्र (छात्रों) को रैगिंग की घटनाएं सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, चाहे वे पीड़ित के रूप में हों या प्रत्यक्षदर्शी के रूप में। ऐसे सूचनादाताओं की पहचान संरक्षित की जाएगी और केवल ऐसी घटनाओं की सूचना देने के कारण वे किसी प्रतिकूल परिणाम का शिकार नहीं बनेंगे।

6.2.7 फ्रेशरों का प्रत्येक बैच संस्थान में आगमन पर छोटे समूह में विभाजित कर दिया जाएगा और प्रत्येक समूह संकाय के एक सदस्य को सौंप दिया जाएगा, जो संस्थान में फ्रेशर द्वारा सामना की गई किसी समस्या या कठिनाई, यदि कोई है, का पता लगाने के लिए प्रति दिन समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ अलग–अलग विचार–विमर्श करेगा और इस पर पार पाने के लिए फ्रेशर को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

6.2.8 फ्रेशरों को जहां तक संभव हो, एक अलग छात्रावास ब्लॉक में ठहराया जाएगा और जहां इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि फ्रेशरों को आबंटित किए गए स्थान में वरिष्ठ छात्रों की पहुंच की, वार्ड में, सुरक्षा गार्डों और संस्थान के अन्य स्टाफ द्वारा कड़ी मॉनीटरिंग की गई है।

6.2.9 कक्षाएं समाप्त हो जाने के पश्चात छात्रावासों में रैगिंग को रोकने की दृष्टि से छात्रावास परिसरों में रैगिंग के विरुद्ध संस्थान द्वारा 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

6.3 <u>शैक्षिक वर्ष के अंत में</u>:–

6.3.1 प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक उन छात्रों के माता–पिता/ अभिभावकों को एक पत्र भेजेगा, जो पहला वर्ष पूरा कर रहे हों, जिसमें उन्हें रैगिंग और दंडों के संबंध में कानून के बारे में सूचित किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि वे अपने वार्डों पर इस बात के लिए जोर डालें कि वे रैगिंग में लिप्त होने से बाज आएं, जब वे अगले शैक्षिक सत्र के आरंभ में वापस आते हैं।

6.3.2 प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय एक 'मॉनीटरिंग सेल' गठित करेगा, जिसमें अगले शैक्षिक वर्ष के लिए मेंटर होंगे। मेंटरों के उतने ही स्तर या टियर होंगे, जितनी संस्थान में बैचों की संख्या है। यह 6 फ्रेशरों के लिए एक मेंटर की दर से और निम्न स्तर के 6 मेंटरों के लिए एक उच्चतर स्तर के एक मेंटर की दर से होगा।

फ्रेशरों का प्रत्येक बैच छोटे समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए और ऐसा प्रत्येक समूह स्टाफ के एक सदस्य को सौंपा जाएगा। उस स्टाफ सदस्य को संस्थान में फ्रेशर द्वारा सामना की गई समस्याओं/ कठिनाइयों, यदि कोई है, का पता लगाने के लिए और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए दैनिक आधार पर समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ अलग–अलग विचार–विमर्श करना चाहिए।

किसी छात्रावास में दाखिल किए गए फ्रेशरों के मामले में समूह के प्रभारी अध्यापक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह छात्रावास के वार्डन के साथ समन्वय स्थापित करे और छात्रावास में कमरों का अचानक दौरा करे, जहां समूह के सदस्य ठहरे हुए हैं।

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका, फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka, Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

5.2.5 The Medical College/Institution/University shall also organize joint sensitization programmes of 'freshers' and seniors.

On the arrival of senior students after the first week or after the second week as the case may be, further orientation programmes must be scheduled as follows (i) joint sensitization programme and counseling of both 'freshers' and senior by a Professional counselor; (ii) joint orientation programme of 'freshers' and seniors to be addressed by the principal/Head of the institution, and the anti -ragging committee ; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the 'freshers' and seniors to interact in the presence of faculty members ; (iv) in the hostel, the warden should address all students; may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration; v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instill a feeling of confidence among the freshers.

6.2.6 Freshers or any other student(s) shall be encouraged to report incidents of ragging, either as victims, or even as witnesses. The identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.

6.2.7 Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small group and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group everyday for ascertaining the problems is difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

6.2.8 Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facility are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.

6.2.9 A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.

6.3. ***At the end of the academic year:-***

6.3.1 At the end of every academic year the Dean/Principal/Director shall send a letter to the parents/guardians of the students who are completing the first year informing them about the law regarding ragging and the punishments, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging when they come back at the beginning of the next academic session.

6.3.2 At the end of every academic year the Medical College/Institution /University shall form a 'Mentoring Cell' consisting of Mentors for the succeeding academic year. There shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of 1 Mentor for 6 freshers and 1 Mentor of a higher level for 6 Mentors of the lower level.

Each batch of freshers should be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the staff. Such staff member should interact individually with, each member of the group on a daily basis for ascertaining the problems/difficulties if any faced by the fresher in the institution and extending necessary help.

In the case of freshers admitted to a hostel it shall be the responsibility of the teacher in charge of the group to coordinate with the warden of the hostel and to make surprise visits to the rooms in the hostel where the members of the group are lodged."

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

(73)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

//5//

8.3 <u>भा.आ.प. के स्तर पर</u>

8.3.1. *रैगिंग की प्रत्येक घटना के लिए, गलती करने वाले मेडिकल कॉलेज/संस्थान द्वारा समुचित सरकार द्वारा उस प्राधिकारी जिसे समुचित सरकार नामजद करे, जैसा भी मामला हो, को भुगतान योग्य एक लाख रुपए का निवारक जुर्माना लगाना।*

8.3.2. *गलती करने वाले मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को न्यूनतम अकादमिक मानक न रखने वाला घोषित करना और सार्वजिक नोटिस के माध्यम से और भा.आ.प. की वेबसाइट पर देकर ऐसे संस्थान को दाखिले के लिए संभावित अभ्यर्थियों को सचेत करना।*

8.3.3 *गलती करने वाले मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि और गलती के अनुरुप परिषद द्वारा बढाई जाने वाली अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 10 क के अंतर्गत कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपात्र घोषित करना।*

उपरोक्त के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके संस्थान में रैगिंग के प्रति शून्य सहिष्णुता है। यदि रैगिंग की कोई भी घटना परिषद के संज्ञान में आती है तो इसे उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

चूंकि शैक्षिक सत्र 2019–20, 01-08-2019 से आरम्भ होगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस परिपत्र के प्रेषण की तिथि से चार सप्ताह के अंदर निम्नलिखित पॉइंटों पर सूचना/अनुपालन भेजें:–

1. (i) कॉलेज में रैगिंग प्रतिरोधी समिति का संघटन (सदस्यों के टेलीफोन नंबर और ई–मेल आईडी के साथ उनका नाम)
   (ii) सूचित की गई रैगिंग की घटनाओं की संख्या और की गई कार्रवाई, यदि कोई है, हार्ड/सॉफ्टप्रति में।
   (iii) दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्टस, यदि कोई हों, की संख्या
   (iv) दिया गया दंड, यदि कोई हो।
2. रैगिंग प्रतिरोध पर विशिष्ट सूचना के शामिल किए जाने के संबंध में दाखिल ब्रोशर/प्रोस्पेक्ट्स/बुकलेट।
3. कॉलेज, अस्पताल और छात्रावासों के सभी असुरक्षित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना।
4. www.antiragging.in और amanmovement.org पर प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता–पिता द्वारा ऑनलाइन वचनपत्र का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना।
5. एनएएसी मान्यता प्राप्त करना।
6. मेडिकल कॉलेज/छात्रावास के भिन्न–भिन्न भागों में रैगिंग प्रतिरोधी पोस्टर और होर्डिंग (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) चिपकाना।

यह भी सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग के दुष्प्रभावों पर छात्रों की काउंसलिंग करने के लिए चार लघु चलचित्र और डाक्यूमेंटरी फिल्म तैयार की हैं। ये फिल्में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं। सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से अनुरोध है कि वे अभिमुखीकरण और अन्य कार्यक्रमों के दौरान छात्रों को नियमित रूप से ये फिल्में दिखाएं। ये फिल्में निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध हैं: ugc.ac.in/page/Videos-Regarding-Ragging.aspx

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट - 14, सेक्टर-8, द्वारका, फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka, Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

8.3 At the MCI level

8.3.1 Impose an exemplary fine of Rs. 1 lakh for each incident of ragging payable by erring medical college/institution to such authority as may be designated by the appropriate Govt., as the case may be.

8.3.2 Declare the erring Medical College/Institution/University as not having the minimum academic standards and warning the potential candidates for admission at such institution through public notice and posing on the MCI website.

8.3.3 Declare the erring Medical College/Institution/University to be ineligible for preferring any application u/s 10A of the Indian Medical Council Act, 1956 for a minimum period of one year, extendable by such quantum by the Council as would be commensurate with the wrong.

In view of above you are directed to ensure there is zero Tolerance to ragging in your Institution. In case any incident of ragging comes to the knowledge of Council it shall be dealt with in accordance with the above referred statutory provisions.

As the academic session 2019-20 will start from 01.08.2019, you are requested to send the information/compliance on the following points within four (4) weeks from the date of dispatch of this circular:-

1. (i) Anti-Ragging Committee composition in the college (name of members with their telephone numbers and e-mail IDs).
   (ii) Number of incidences of ragging reported and action taken in hard/soft copy, if any.
   (iii) Number of FIRs lodged, if any.
   (iv) Punishment awarded, if any.
2. Admission brochures/prospectus/booklets regarding inclusion of specific information on Anti-Ragging.
3. Installation of CCTV Cameras in all the vulnerable places of college, Hospital and Hostels.
4. Ensure submission of online undertaking by each student & every parent at www.antiragging.in and www.amanmovement.org.
5. To get NAAC accreditation.
6. Anti Ragging Posters & Hoarding (as per enclosed format) to be placed in different parts of Medical college/hostel.

It is further informed that UGC has developed 4 short films and a documentary film to counsel students on ill effects of ragging. These films are uploaded on UGC website. All Universities/Institutions are requested to show these films regularly to the students during orientation and other programmes. These movies are available on the following link, ugc.ac.in/page/Videos-Regarding-Ragging.aspx

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035,
25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

(71)

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया सभी छात्रों के बीच रैगिंग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कॉलेज में कार्यशाला / संगोष्ठी / सम्मेलन आयोजित करें और आपके कॉलेज द्वारा आयोजित की गई ऐसी कार्यशालाओं / संगोष्ठियों के ब्योरे प्रस्तुत करें।

इस मामले में कृपया शीघ्र कार्रवाई करें।

भवदीया,

रीना नय्यर

(डॉ. रीना नय्यर)
अपर सचिव और नोडल अधिकारी
एंटी-रैगिंग कमेटी.

सं. भा.आ.प.–34(1) / 2019–मेड.(रैगिंग). /

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110115.
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
3. प्रोफेसर राज काचरु – अमनसत्य काचरु ट्रस्ट, 689, सेक्टर 23, गुडगांव–122017

(डॉ. रीना नय्यर)
अपर सचिव और नोडल अधिकारी
एंटी-रैगिंग कमेटी.

दूरभाष / Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स / Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल / E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट / Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका, फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka, Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

//6//

You are also requested to hold workshops/seminars/conferences in the college for awareness about ragging among all students and furnish the details of such workshops/seminars conducted by your college.

Yours faithfully,

(Dr. Reena Nayyar)
Additional Secretary & Nodal Officer,
Anti-Ragging Committee.

No. MCI – 34(1)/2019 -Med (Ragg.)/ Date :

Copy forwarded for information to:-

1. The Secretary, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi – 110115.
2. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110002.
3. Prof. Raj Kachroo, Aman Satya Kachroo Trust, 689, Sector 23, Gurgaon-122017.

(Dr. Reena Nayyar)
Additional Secretary & Nodal Officer,
Anti-Ragging Committee.

Download
ANTI RAGGING
App

SAY NO TO RAGGING

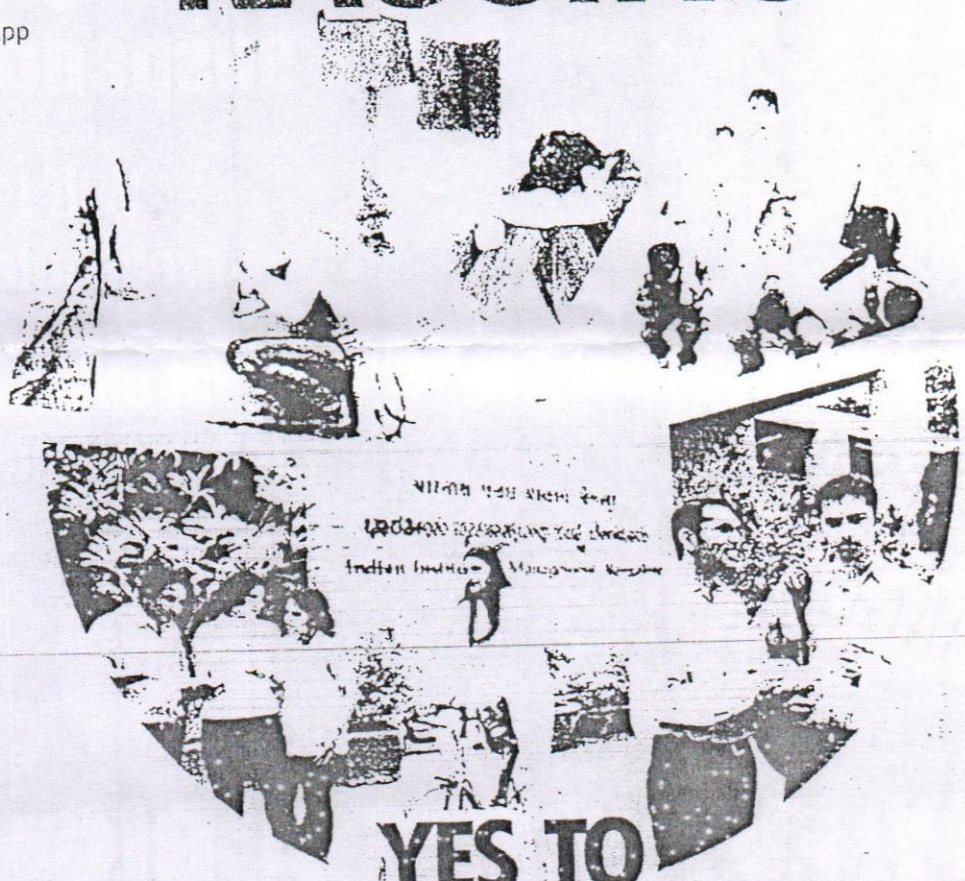

YES TO JOYFUL CAMPUS

What is Ragging?

Any Act Resulting in:

- Mental/physical/sexual Abuse
- Verbal Abuse
- Indecent Behaviour
- Criminal Intimidation/wrongful Restraint
- Undermining Human Dignity
- Financial Exploitation/extortion
- Use Of Force

A STUDENT INDULGING IN RAGGING CAN BE:

- Cancellation of admission.
- Suspension from attending classes.
- Withholding/withdrawing Scholarship/Fellowship and other benefits.
- Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
- Withholding results.
- Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament or youth festival etc.
- Collective punishment : when the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on potential ragger.

Immediately call
UGC Anti-Ragging Helpline
1800-180-5522 (24X7 toll free)
or send an e-mail to helpline@antiragging.in

MHRD
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

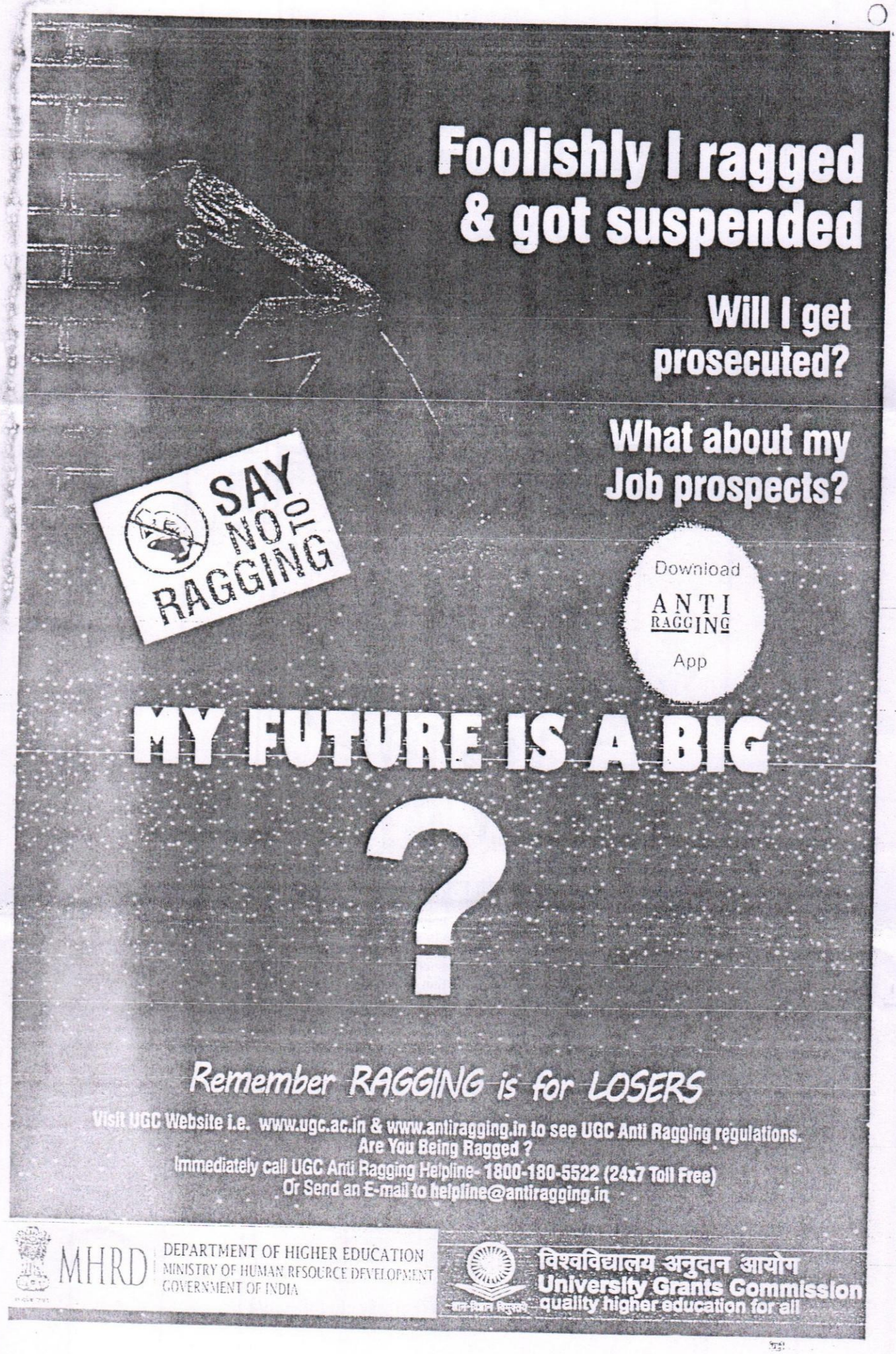
Foolishly I ragged & got suspended
Will I get prosecuted?
What about my Job prospects?
SAY NO TO RAGGING
Download ANTI RAGGING App
MY FUTURE IS A BIG ?
Remember RAGGING is for LOSERS
Visit UGC Website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging regulations.
Are You Being Ragged ?
Immediately call UGC Anti Ragging Helpline- 1800-180-5522 (24x7 Toll Free)
Or Send an E-mail to helpline@antiragging.in
MHRD
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

SAY NO TO RAGGING

BEFORE YOU EVEN THINK OF RAGGING

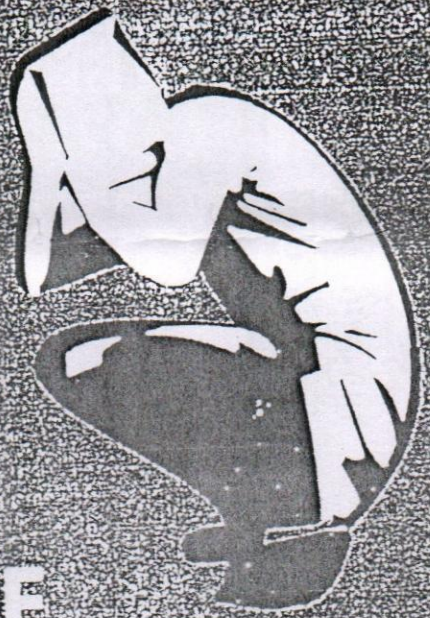

Download ANTI RAGGING App

THINK OF

- Humiliation
- Suspension
- Blacklisting
- Ruined Career
- Possible Prosecution
- Expulsion

Don't just stand and watch. Stop Ragging! Show Character

Remember RAGGING is for LOSERS

Visit UGC Website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging regulations.

Are You Being Ragged ?

Immediately call UGC Anti Ragging Helpline - 1800-180-5522 (24x7 Toll Free)
Or Send an E-mail to helpline@antiragging.in

MHRD | DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

DON'T RAG, JUST INTERACT

RAGGING IN ANY FORM IS PUNISHABLE

Visit UGC website i.e. www.ugc.ac.in & www.antiragging.in to see UGC Anti Ragging Regulations

Are you being ragged ?

Immediately call UGC Anti Ragging Helpline 1800-180-5522 (24X7 Toll Free)
Or send an e-mail to helpline@antiragging.in

Download
ANTI RAGGING
App

Join hands to make your campus ragging free

Issued in public interest by:
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
Government of India

MHRD
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all